Neutral Citation No. - **2026**:AHC-LKO:**19906**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. 7899 वर्ष 2025

विवेक कुमार श्रीवास्तव

.... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार लखनऊ एवं 4 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता	: राम राज, दीपांशु दास, गोकुल सेठ, कंचन रावत, लालता प्रसाद मिश्रा
प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता	: मु.स्था.अ., आदित्य मोहन, महेन्द्र प्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह,

याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपांशु दास, विरोधी पक्षकार सं. 2 से 5 के विद्वान् अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, तथा राज्य के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी. के. सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याची ने, जांच रिपोर्ट दिनांक **27.02.2023** और आरोप-पत्र दिनांक **29.08.2022** सहित, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **04.06.2025**, और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक **04.07.2024** पर आपत्ति की है। अग्रेतर, आदेश दिनांक **07.07.2022** एवं **07.03.2025** भी चुनौती के अधीन हैं।

याची के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि याची की नियुक्ति दिनांक **20.12.2007** को अनुकंपा के आधार पर, प्रत्युत्तरदाता सं. **2** विभाग में मंडी पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी, और उसने विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य करता रहा था, और उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने तक उसका सेवा-काल निष्कलंक रहा है।

अग्रेतर निवेदन है कि दिनांक **07.07.2022** को, विरोधी पक्षकार सं. **3** द्वारा याची को निलंबित कर दिया गया था और उसके विरुद्ध जांच कार्यवाही अनुध्यात की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि याची को **29.08.2022** को आरोप-पत्र उपलब्ध किया गया था, और याची द्वारा **09.09.2022** को दस्तावेज मांगे गए थे। वह निवेदन करते हैं कि याची ने **08.10.2022** को अपना अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया था और व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई के लिए समय मांगा था, किन्तु, याची को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर दिए बिना, जांच अधिकारी ने जांच की थी और **27.02.2023** को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

उन्होंने तर्क दिया है कि जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के बाद, याची ने जांच रिपोर्ट के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दाखिल किया था, और अभिवचन किया है कि व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर दिए बिना, जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर दी है, किन्तु, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस बात की उपेक्षा की गई है और याची को दंडित किया गया है।

अग्रेतर निवेदन है कि व्यथित होकर, याची ने विभाग के प्रमुख सचिव, अर्थात्, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के समक्ष एक अपील भी संस्थित की थी, किन्तु उन्होंने भी उसकी उपेक्षा की है।

याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला तर्क है कि क्योंकि जांच कार्यवाही स्वतः दूषित है, क्योंकि यह विधि के स्थापित प्रस्थापना के विरुद्ध है, क्योंकि याची को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, अतः, जांच रिपोर्ट, उसकी पश्चात्वर्ती कार्यवाही सहित, अर्थात् अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, विधि की दृष्टि में असंधार्य हैं।

दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदाता-विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया है कि जब याची को निलंबित किए जाने के बाद, जांच अधिकारी नियुक्त किया

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

गया था और जांच की गई थी। वह निवेदन करते हैं कि आरोप-पत्र स्पष्ट अंतर्वस्तु के साथ तैयार किया गया था और स्वीकृत रूप से, साक्ष्य के साथ याची पर तामील कराया गया था, और उसका उत्तर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट उचित रीति से तैयार की है, इसलिए, इसलिए जांच रिपोर्ट में कोई अस्पष्टता नहीं है। उन्होंने निवेदित किया है कि याची को पत्र दिनांक **29.10.2022** के माध्यम से व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था, जिससे कि यदि वह चाहे तो उत्तर दे सके, अतः जांच रिपोर्ट, और अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, निवेदन है कि कोई हस्तक्षेप अधिकृत नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण को निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख क परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि याची के विरुद्ध जांच कार्यवाही **29.8.2022** को उस पर आरोप-पत्र की तामील करके संस्थित की गई थी, और याची ने अपना अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया था और अगली दिनांक **29.10.2022** नियत की गई थी। उस दिनांक को, जांच अधिकारी द्वारा, साक्षियों को बुलाए बिना और कोई दिनांक और समय नियत करके मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर उपलब्ध किए बिना सुनवाई की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विरोधी पक्षकारों द्वारा दाखिल उत्तर के परिशीलन से स्पष्ट है, यह कहीं नहीं कहा गया है कि साक्षियों को बुलाने और याची को उनसे प्रतिपरीक्षा करने का समय देने के बाद, याची को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था।

यह न्यायालय पाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम उपायुक्त**, **केंद्रीय उत्पाद शुल्क**, **गौहाटी एवं अन्य**, (2015) 8 **सुप्रीम कोर्ट केसेज़** 519 में प्रकाशित वाद में विधि स्थापित की गई है। उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा निम्नवत् दिए जाते हैं:

18. **......** *भले ही वह उपबंध लागू न हो, यह एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने सी सी ई बनाम आई. टी. सी. लि. [* ***(1995) 2 एस सी सी 38]*** *के मामले में निर्णीत किया है कि किसी करदाता पर अतिरिक्त मांग अधिरोपित करने से पहले, कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है। यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई विधि शांत हो, अर्थात् अधिनियम या नियमावली में ऐसे कोई स्पष्ट शब्द न हों जो उस पक्षकार की सुनवाई की आवश्यकता स्पष्ट करते हों जिसके अधिकार या हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो कोई निर्णय लेने से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

की अपेक्षा उस विधि की ही एक अनिवार्य हिस्सा मानी जानी चाहिए, जब तक कि वह विधि इसके विपरीत कोई उपबंध न करती हो।

27. इस प्रकार, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर आधारित हैं, जो उचित विनिश्चय किया जाना सुनिश्चित करती है और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता मूल रूप से इस अर्थ में एक साधनगत हित है, कि प्रक्रिया को सटीक या उपयुक्त परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वास्तव में, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, साधनगत और गैर-साधनगत, दोनों दृष्टि से मूल्यवान है।

28. उपर्युक्त विधिशास्त्रीय आधार पर ही, दूसरे पक्ष को भी सुनो सहित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत विकसित हुए हैं। इसी कारण से, न्यायालयों ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि कोई भी विनिश्चय करने से पूर्व ऐसी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए, और इसका उल्लंघन किए जाने पर, किए गए विनिश्चय निरस्त किए गए हैं। अनेक विधियों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किए गए हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किए जाने की संभावना है, विनिश्चय करने के पूर्व एक नोटिस दिया जाए, किंतु ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं, जहां यद्यपि किसी प्राधिकारी में ऐसे आदेश पारित करने की शक्तियां निहित हैं, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति को प्रभावित करती हों, किंतु विधि में पूर्व-सुनवाई का कोई उपबंध अंतर्विष्ट न हो। परंतु ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बात

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

यह है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता किसी भी विधिक उपबंध पर निर्भर नहीं है। इस सिद्धांत को आज्ञापक रूप से, इस तथ्य से असंगत कि क्या ऐसा कोई विधिक उपबंध है अथवा नहीं, लागू किया जाना चाहिए।

*47. एस्कॉर्ट्स फार्म्स लि. बनाम आयुक्त [**(2004) 4 एस सी सी 281]** में, इस न्यायालय ने, इस स्थिति को दोहराते हुए कि सारवान् न्याय करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, निर्णीत किया है कि, इसी के साथ, इसका कोई उपयोग नहीं है, यदि गुणावगुण पर वाद के विनिश्चय में किसी परिवर्तन की किसी संभावना के बिना सुनवाई केवल औपचारिकता पूरी करने के बराबर है। इसे निम्नलिखित निबंधनों में इस प्रकार स्पष्ट किया गया था: **(एस सी सी पृ. 309-10, पैरा 64)***

> *"**64.** किसी आवश्यक पक्ष को सुनवाई का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। इस अधिकार से इंकार करना विहित विधिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। भू-धारकों और कुछ अन्य अंतरितियों द्वारा अधिमानित इन अपीलों में, हमने पाया है कि सरकारी अनुदान के निबंधनों में, अनुदानकर्ता के रूप में राज्य की अनुमति के बिना भूमि का अंतरण करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए, अंतरितियों के उस वर्ग के वादों को प्रतिप्रेषित करना, जिन्हें सुना नहीं गया था। इसलिए, उसका कोई विधिक महत्व नहीं होगा, विशेषकर, जब इस*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विधिक प्रश्न पर सभी प्रभावित सभी पक्षकारों को उच्च न्यायालय के समक्ष और इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिल चुका है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सारवान् न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, और गुणावगुण पर वाद के विनिश्चय में किसी परिवर्तन की संभावना के बिना केवल सुनवाई की एक औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं। हमारे द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट की गई विधिक स्थिति की दृष्टि से, हम, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद ***136*** *के अधीन अपनी वैवेकिक शक्तियों के प्रयोग में इन मामलों को प्रतिप्रेषित करने से विरत रहते हैं।"*

अग्रेतर, इस न्यायालय ने उ. प्र. सरकारी कर्मचारी **(**अनुशासन और अपील**)** नियमावली**, 1999 (**एतद्पश्चात् **"**नियमावली**, 1999"** के रूप में निर्दिष्ट**)** के नियम **7** पर भी विचार किया है**,** जो निम्नवत् है**:**

"7. दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया -

किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने से पहले**,** निम्नलिखित रीति से जांच की जाएगी**:**

(i) अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या आरोपों की जांच के लिए अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

''अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

Translated Version. Not for Legal Use.

(ii) जिन अवचारों के आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित है, उनके गठित करने वाले तथ्यों को एक निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे आरोप-पत्र कहा जाएगा। आरोप-पत्र को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा :

परंतु कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो, वहां आरोप-पत्र को संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, यथास्थिति, द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

(iii) आरोप इतने सटीक और स्पष्ट होने चाहिए कि आरोपित सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल सके। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्य और उसे साबित करने के लिए प्रस्तावित साक्षियों के नाम, साथ ही यदि कोई मौखिक साक्ष्य हो, तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

*(iv) आरोपित सरकारी कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी होने की दिनांक से कम से कम **1** दिन के भीतर निर्धारित दिनांक पर स्वयं उपस्थित होकर लिखित में अपना बचाव प्रस्तुत करना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करना चाहता है या अपने बचाव में कोई साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसे यह भी सूचित किया जाएगा कि यदि वह निर्धारित दिनांक पर उपस्थित नहीं होता है या लिखित-कथन प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है और जांच अधिकारी एकपक्षीय रूप से जांच पूरी करेगा।*

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(v) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची एवं उनके कथनों को, यदि कोई हो, सहित, आरोपित सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आधिकारिक अभिलेखों में उल्लिखित पते पर भेजा जाएगा। यदि आरोप-पत्र उपर्युक्त रीति से नहीं भेजा जा सकता है, तो उसे व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके भेजा जाएगा :

परंतु कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य प्रचुर मात्रा में हो, वहां आरोप-पत्र के साथ उसकी प्रति प्रस्तुत करने के स्थान पर, आरोपित सरकारी कर्मचारी को जांच अधिकारी के समक्ष उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(vi) यदि आरोपित सरकारी कर्मचारी उपस्थित होकर आरोपों को स्वीकार करता है, तो जांच अधिकारी इस स्वीकृति के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(vii) यदि आरोपित सरकारी कर्मचारी आरोपों से इन्कार करता है, तो जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षियों को बुलाएगा और आरोपित सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में उनके मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करेगा, जिसे ऐसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा। उपर्युक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद, जांच अधिकारी आरोपित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने लिखित-कथन में बचाव में प्रस्तुत किए जाने की इच्छा व्यक्त किए गए मौखिक साक्ष्य को बुलाएगा और अभिलिखित करेगा :

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

परंतु कि जांच अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(viii) जांच अधिकारी, उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार किसी भी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है या किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(ix) जांच अधिकारी किसी भी समय, किसी भी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से, सत्य का पता लगाने या आरोपों से संबंधित तथ्यों के उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।

(x) यदि आरोपित सरकारी कर्मचारी जांच के लिए निर्धारित दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी चरण में नोटिस तामील होने के बाद भी या दिनांक की जानकारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच करेगा। ऐसे मामले में, जांच अधिकारी आरोपित सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन अभिलिखित करेगा।

(xi) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आवश्यक समझे तो वह एक आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी या विधिक व्यवसायी को "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो आरोप के समर्थन में उसकी ओर से मामला प्रस्तुत करेगा।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

(xii) सरकारी कर्मचारी अपने पक्ष में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है, किन्तु इस उद्देश्य के लिए किसी विधिक व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता है, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी का विधिक व्यवसायी न हो :

परंतु कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

(i) जहां किसी व्यक्ति पर उसके आचरण के आधार पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित किया जात ा है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस बात से संतुष्ट है कि इन नियमों में निर्धारित रीति से जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

(iii) जहां राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में उपबंधित रीति से जांच करना समीचीन नहीं है।"

उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से, यह स्पष्ट है कि "नियम ावली, **1999"** का नियम **7** स्वतः यह स्पष्ट करता है कि "जहां आरोपित सरकारी कर्मचारी आरोपों से इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षियों को बुलाएगा और आरोपित सरकारी

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कर्मचारी की उपस्थिति में उनका मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करेगा", जिसका वर्तमान वाद में पूर्णतः अभाव है।

यह स्पष्ट है कि "नियमावली 1999" के उप-नियम (vii) के उपबंध का जांच अधिकारी द्वारा उसके शब्दों और भावना के अनुरूप पालन नहीं किया गया है; और इसलिए, जांच रिपोर्ट स्वतः उपर्युक्त उपबंध के विपरीत है।

अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट को विधि-सम्मत मानते हुए, उस पर विश्वास किया है और याची के विरुद्ध दंड अधिनिर्णीत करते हुए, दंडादेश पारित किया है, और अग्रेतर अपीलीय प्राधिकारी ने भी, याची के इस अभिवचन की उपेक्षा करते हुए कोई हस्तक्षेप नहीं किया है कि आक्षेपित आदेश नियमों से बाहर पारित किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, यह न्यायालय पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, विधि और विधि के स्थापित सिद्धांतों के भी विपरीत हैं। अतः, वे असंधार्य हैं।

परिणामतः, आदेश दिनांक **04.06.2025, 04.07.2025** और **27.02.2023** एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

प्रत्युत्तरदाता-विभाग को, आरोप-पत्र के प्रक्रम के बाद, नए सिरे से जांच करने और इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसे प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से चार माह की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को आरोप-पत्र का, जो उसे पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है, जो एक स्वीकृत तथ्य है, दस दिन की अवधि के भीतर नया उत्तर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, और उसे प्राप्त करने के पश्चात्, जांच अधिकारी विधि के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

रिट याचिका **तदनुसार अनुज्ञात** की जाती है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

मार्च 18, 2026
ए के एस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"